भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3219
दिनांक 06 अगस्त, 2026

किसानों के लिए डीजल की खरीद सीमा

3219. **श्री कुलदीप इंदौराः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने कृषि गतिविधियों के लिए डीजल पर 200 लीटर की खरीद सीमा के कारण श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ सहित प्रमुख कृषि क्षेत्रों में किसानों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई, जिससे खरीफ सत्र की खेती और सिंचाई प्रभावित हो रही है, का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने ट्रैक्टरों, हार्वेस्टर, सिंचाई पंपों और अन्य कृषि मशीनों के संचालन के लिए किसानों की वास्तविक डीजल आवश्यकताओं का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का पहले की तरह पर्याप्त आपूर्ति बहाल करने के लिए कृषि डीजल खरीद सीमा की समीक्षा करने का विचार है; और
(घ) यदि हां, तो इसके कार्यान्वयन की प्रस्तावित समयावधि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ): पश्चिम एशिया संकट के कारण, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्यों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। हाई-स्पीड डीजल (एचएसडी) के मूल्यों में हुई पूरी वृद्धि से खुदरा उपभोक्ताओं की संरक्षित करने के उद्देश्य से इसके भार को थोक उपभोक्ताओं पर डाला गया, जिसमें से खुदरा उपभोक्ताओं पर केवल आंशिक वृद्धि का भार ही डाला गया, जिसके परिणामस्वरूप, एचएसडी के थोक मूल्य और खुदरा मूल्य के बीच एक महत्वपूर्ण मूल्य अंतर हुआ। फलस्वरूप, थोक डीजल की मात्रा, पीएसयू तेल विपणन खुदरा बिक्री केंद्रों (आरओज) पर अंतरित होने के कारण कुछ खुदरा बिक्री केंद्रों पर असमान असाधारण मांग में वृद्धि हुई। यह औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत उपभोक्ताओं द्वारा थोक और खुदरा डीजल के मूल्यों के बीच उक्त मूल्य अंतर के कारण अपने समर्पित उपभोक्ता पंपों से आरओज पर अपनी अधिप्राप्ति को अंतरित करने के कारण हुआ। थोक उपभोक्ताओं द्वारा एचएसडी के डायवर्जन से स्थानीय आपूर्ति संबंधी समस्याएं और वास्तविक खुदरा उपभोक्ताओं और आवश्यक सेवाओं के लिए संभावित व्यवधान उत्पन्न हुए।

केंद्र सरकार ने इस स्थिति को नियंत्रित करने और एचएसडी की उपलब्धता तथा समान वितरण सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 11.06.2026 और दिनांक 12.06.2026 को मोटर स्पिरिट और हाई-स्पीड डीजल (खुदरा बिक्री केंद्र के माध्यम से आपूर्ति का अस्थायी विनियमन) आदेश, 2026 अधिसूचित किया तथा पीएसयू ओएमसीज को अपने खुदरा बिक्री केंद्रों पर एचएसडी की बिक्री हेतु अस्थायी प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए। इन उपायों का उद्देश्य एचएसडी की कालाबाजारी, जमाखोरी और डायवर्जन को रोकना था, जबकि खुदरा उपभोक्ताओं को एमएस और एचएसडी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करवाना था।

सरकार ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा के बाद जनहित में 1 जुलाई 2026 से अस्थायी प्रतिबंधों को वापस लेने का निर्णय किया, जिससे गंगानगर और हनुमानगढ़ सहित पूरे देश में एमएस और एचएसडी की सामान्य आपूर्ति व्यवस्था बहाल हो गई।
